प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ : बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्रमांक 2215/1997

याचिकाकर्ता: **राज कुमार बजाज उर्फ़ राजा**

बनाम

प्रत्यर्थी: **मध्य प्रदेश राज्य**

दाण्डिक अपील क्रमांक 2072/1997

याचिकाकर्ता: **पप्पू उर्फ़ बीरेंद्र जिंदानी**

बनाम

प्रत्यर्थी: **मध्य प्रदेश राज्य**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील साहू।

श्री प्रवीण दास, प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से उप शासकीय अधिवक्ता।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के तहत दाण्डिक अपीलें

निर्णय

(07.08.2012)

1. चूंकि ये दोनों अपीलें रायपुर के विशेष न्यायाधीश /अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 24.9.1997 को विशेष अपराध प्रकरण संख्या 426/1996 में पारित एक ही निर्णय एवं आदेश से उद्भूत हैं, जिसमें अभियुक्त /अपीलकर्ताओं को धारा 363/34, 366/34 तथा 506-बी द.प्र.सं. के अंतर्गत दोषी ठहराया गया तथा प्रत्येक को धारा 363/34 के अंतर्गत 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं व्यतिक्रम की दशा में 150/- रुपये के जुर्माने, धारा 366/34 के अंतर्गत 5 वर्ष के

कठोर कारावास एवं 200/- रुपये के जुर्माने तथा धारा 506-बी द.प्र.सं. के अंतर्गत 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 150/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई, इसलिए इनका निराकरण इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जाता है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 26.10.1996 को अभियोक्त्री (अभियोजन साक्षी-3), जो घटना के समय लगभग 16 वर्ष की थी, द्वारा प्राथमिकी प्रदर्श पी-3 दर्ज कराई गई कि दिनांक 21.10.1996 को लगभग 4 बजे अपराह्न जब वह अपनी मां के पास जा रही थी जो बाजार में सब्जी बेच रही थी, रास्ते में अभियुक्त/अपीलकर्ता, जिनके नाम उसे बाद में पता चले, मिले, अभियुक्त राजा जिसके पास चाकू था, उसे धमकाया, दानीटोला ले गए तथा एक कमरे में बंद कर दिया जो बाहर से बोल्ट किया गया था। उसके बाद दोनों अभियुक्त /अपीलकर्ता वहां से चले गए। चूंकि दोनों अभियुक्त /अपीलकर्ता एक-दूसरे को नाम से पुकार रहे थे, इसलिए उसे उनके नाम पता चले। दानीटोला ले जाने से पहले उन्होंने गोखुलपुर से उक्त घर की चाबी किसी अन्य घर से ली तथा रास्ते में रिक्शा में बैठे हुए अभियुक्त/अपीलकर्ता राजा चाकू दिखाते हुए उसके स्तनों को दबा रहा था। शाम को अभियुक्त राजा वहां आया तथा उसके साथ जबरदस्ती यौन संभोग किया तथा वह पूरी रात उसके साथ रहा तथा इस अवधि में उसे धमकाया भी। उसे तीन दिनों तक कैद में रखा गया तथा जब अभियुक्त राजा बाहर जाता था, तो दरवाजे पर ताला लगा देता था तथा रात में उसके साथ यौन संभोग करता था। दिनांक 25.10.1996 को अभियुक्त राजा उसे सूचित कर कि वह नागपुर जा रहा है, वहां से चला गया तथा लगभग 1-1.30 बजे आधी रात में उसके पिता, मां तथा पड़ोसी वहां आए तथा उसके नाम से पुकारा तथा घर की कुंडी किसी द्वारा खोले जाने के बाद वह घर से बाहर आई तथा घटना अपनी मां तथा पिता को बताई तथा उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस प्राथमिकी के आधार पर अभियुक्त /अपीलकर्ताओं के विरुद्ध धारा 363, 366, 376, 34, 342, 506-बी द.प्र.सं. तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (संक्षेप में "विशेष अधिनियम") की धारा 3 (1) (xii) के अंतर्गत अपराध दर्ज किए गए। अभियोक्त्री की चिकित्सकीय जांच दिनांक 26.10.1996 को डॉ. (श्रीमती) आशा त्रिपाठी (अभियोजन साक्षी-8) द्वारा की गई जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 दी। जांच पूर्ण होने के बाद पुलिस द्वारा दिनांक 13.11.1996 को धारा 363, 366, 376, 34, 342, 506-बी द.प्र.सं. तथा विशेष अधिनियम की धारा 3 (1) (xii) के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल किया गया। अधिनस्त न्यायालय ने अभियुक्त /अपीलकर्ता पप्पू के विरुद्ध धारा 363/34, 366/34, 342/34, 376/34, 506-बी द.प्र.सं. तथा विशेष अधिनियम की धारा 3 (2) (v) तथा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3 (1) (xii) के अंतर्गत तथा अभियुक्त राजा के विरुद्ध सभी धाराओं सिवाय 506-बी द.प्र.सं. के अंतर्गत आरोप गठित किए।

3. अपने मामले के समर्थन में अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों की जांच की। अभियुक्त/अपीलकर्ताओं के बयान भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया तथा निर्दोष होने का अभिवाक्य किया एवं मामले में झूठा फंसाया जाना बताया।

4. पक्षों को सुनने के बाद अधिनस्त न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलकर्ताओं को धारा 376, 342 द.प्र.सं. तथा विशेष अधिनियम के अंतर्गत आरोपों से दोषमुक्त कर दिया किंतु उन्हें इस निर्णय के कंडिका क्रमांक 1 में उल्लिखित रूप से दोषी ठहराया एवं सजा सुनाई।

5. अभियुक्त/अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता का कहना है कि अभियोक्त्री की आयु के संबंध में अभिलेख़ पर कोई विधिक रूप से ग्राह्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा अभियुक्त/अपीलकर्ताओं के विरुद्ध एकमात्र साक्ष्य प्रदर्श पी-15-ए अर्थात कोटवारी रजिस्टर की फोटोकॉपी है जिसमें अभियोक्त्री की जन्म तिथि 20.7.1980 उल्लिखित है। उनका कहना है कि यह दस्तावेज जांच अधिकारी (अभियोजन साक्षी-12) द्वारा मात्र दाखिल किया गया है किंतु अभियोजन पक्ष द्वारा विधि के अनुसार साबित नहीं किया गया। उनका कहना है कि मूल कोटवारी रजिस्टर भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया तथा इसलिए इसका कोई विधिक महत्व नहीं है। उनका कहना है कि दस्तावेज प्रदर्श पी-15-ए में अभियोक्त्री की जन्म तिथि 20.7.1980 उल्लिखित है किंतु यह किस आधार पर तथा किसके द्वारा दर्ज की गई, अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया। अभियुक्त/अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता का यह भी कहना है कि अभियोक्त्री अभियुक्त/अपीलकर्ताओं की संगति में बिना कोई प्रतिरोध किए पांच दिनों तक रही तथा इस अवधि में हालांकि वह स्वतंत्र रूप से घूमती-फिरती थी, उसने किसी को कोई शिकायत नहीं की। अभियुक्त/अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता का यह भी कहना है कि घर किराए पर लेने के बाद अभियोक्त्री अभियुक्त/अपीलकर्ताओं के साथ रहने लगी तथा हालांकि वह पहले से विवाहित थी, उसने अपने पति के साथ रहने से इनकार किया तथा यह सब दर्शाता है कि वह सहमति वाली पक्षकार थी तथा अभियुक्त राजा की संगति में रहना चाहती थी।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/राज्य के लिए अधिवक्ता निर्णय पर हमला का समर्थन करते हैं तथा कहते हैं कि अधिनस्त न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष गवाहों के साक्ष्यों की उचित सराहना पर आधारित हैं तथा इसलिए इनमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

7. पक्षों को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. अभियोक्त्री (अभियोजन साक्षी-3) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना के दिन जब वह अपनी मां के पास सब्जी बेचने जा रही थी, रास्ते में अभियुक्त/अपीलकर्ता मिले तथा चाकू से धमका कर दानीटोला स्थित एक घर में ले गए जहां अभियुक्त/अपीलकर्ता राजा द्वारा उसके साथ जबरदस्ती यौन संभोग किया गया तथा उस समय अभियुक्त पप्पू घर से बाहर रह कर दरवाजा बाहर से बोल्ट कर रहा था तथा उसने उसके साथ कुछ नहीं किया। चूंकि दोनों अभियुक्त /अपीलकर्ता एक-दूसरे को नाम से पुकार रहे थे, इसलिए उसे उनके नाम पता चले। इस गवाह के अनुसार, वह उक्त घर में अभियुक्त/अपीलकर्ता राजा के साथ चार दिनों तक रही तथा इस अवधि में अभियुक्त पप्पू भी वहां आता था। उसने कहा है कि जब अभियुक्त राजा बाहर जाता था, तो दरवाजा बाहर से ताला लगा देता था तथा वापस लौटने पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। चार दिनों के बाद उसके माता-पिता वहां आए तथा अभियुक्त राजा की अनुपस्थिति में उसे अपने साथ ले गए तथा उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस गवाह के अनुसार, घटना से लगभग एक वर्ष पूर्व उसका विवाह भांडारा निवासी एक मनोज से हुआ था तथा वह अपने ससुराल में केवल तीन दिनों तक रही किंतु इस अवधि में उसने कभी अपने पति के साथ नहीं सोई तथा अपनी सास के साथ सोती थी तथा विवाह के बाद उसका पति उसे अपर्याप्त दहेज दिए जाने के कारण कभी ससुराल नहीं ले गया। इस गवाह के साक्ष्य के कंडिका क्रमांक 17, 18, 19 तथा 23 में उसके केस डायरी बयान तथा प्राथमिकी से तुलना करने पर कई विरोधाभास एवं लोप हैं। इस गवाह ने स्वीकार किया है कि जब उसे घर में रखा गया था, अभियुक्त/ अपीलकर्ता राजा द्वारा दी गई धमकियों के कारण उसने कोई शोर-शराबा नहीं किया न ही किसी को सहायता के लिए पुकारा। सुखौराम (अभियोजन साक्षी-1) – अभियोक्त्री के पिता ने कहा है कि घटना से लगभग एक वर्ष पूर्व अभियोक्त्री का विवाह हुआ था तथा वह ससुराल भेजी गई थी। उसने अपनी पुत्री (अभियोक्त्री) को तीज त्योहार के अवसर पर वापस लाया तथा जब उसका दामाद उसे लेने आया, तो वह उसके साथ नहीं भेजी गई तथा वह अकेला वापस चला गया। घटना के दिन इस गवाह के अनुसार, अभियोक्त्री घर से यह कह कर निकली कि वह अपनी मां के पास सब्जी लेने जा रही है तथा जब उसकी मां लगभग 8 बजे रात को घर लौटी तो उसने अभियोक्त्री के बारे में पूछा, उसने (उसकी पत्नी) बताया कि वह (अभियोक्त्री) उसके पास नहीं आई। इस गवाह ने आगे कहा है कि तीसरे दिन उसका भतीजा संगीत (अभियोजन साक्षी-11) उसके पास आया तथा बताया कि उसने अभियोक्त्री को एक घर के दरवाजे पर खड़े देखा है। उसके बाद वह अन्य व्यक्तियों के साथ उक्त घर गया तथा 3-4 बार जोर से पुकारने पर वह बाहर आई तथा उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अपनी पुत्री की आयु के संबंध में इस गवाह ने कहा है कि उसे अभियोक्त्री की जन्म तिथि याद नहीं है किंतु यह कोटवारी रजिस्टर में दर्ज है। इस गवाह ने कहा है कि उसने अभियोक्त्री की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नहीं कराई। श्रीमती मेमिन बाई (अभियोजन साक्षी-2) –अभियोक्त्री की मां ने कहा है कि दशहरा त्योहार के आसपास वह बाजार में सब्जी बेचने गई थी तथा शाम को जब वह घर लौटी, उसके पति ने अभियोक्त्री के बारे में पूछा तथा उसने बताया कि वह उसके पास नहीं आई तथा उसके बाद उसकी खोज की गई। उसके बाद इस गवाह के अनुसार, संगीत (अभियोजन साक्षी-11) द्वारा सूचित किया गया कि उसने अभियोक्त्री को एक घर के दरवाजे पर देखा है तथा जब वह अपने पति तथा अन्य व्यक्तियों के साथ वहां गई तथा दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण उसे धक्का देकर खोला गया तथा अभियोक्त्री बाहर आई तथा उसे घटना बताई। धनीराम (अभियोजन साक्षी-4) – उस घर का मालिक जहां अभियुक्तों द्वारा अभियोक्त्री को कथित रूप से रखा गया था, ने कहा है कि घटना के दिन अभियुक्त राजा तथा अभियोक्त्री रिक्शा पर उसके पास उसके घर को किराए पर लेने आए थे। उसके अनुसार, उस समय अभियोक्त्री रिक्शा में बैठी थी तथा उसके द्वारा पूछने पर अभियुक्त राजा ने बताया कि वह उसकी पत्नी है। इस गवाह के अनुसार, वह अभियुक्त पप्पू को पहले से जानता था तथा अभियुक्त राजा उसके संदर्भ से उसके पास आया था। इस गवाह ने आगे कहा है कि एक दिन जब वह अभियुक्त राजा के कमरे में किराया तय करने गया, अभियोक्त्री जो वरांडा में बैठ कर बाल संवार रही थी, ने बताया कि वह (अभियुक्त राजा) नागपुर चला गया है। अंजोरे (अभियोजन साक्षी-5) वह गवाह है जो सुखौराम (अभियोजन साक्षी-1) तथा मेमिन बाई (अभियोजन साक्षी-2) के साथ धनीराम (अभियोजन साक्षी-4) के घर गया था किंतु उसने कुछ विशेष नहीं कहा है। यशवंत (अभियोजन साक्षी-6) वह गवाह है जिसके समक्ष जांघिया तथा नेल कटर की जब्ती प्रदर्श पी-4 के अंतर्गत की गई। नंदा ग्वाल (अभियोजन साक्षी-7) वह गवाह है जिसने अभियोक्त्री का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-5 साबित किया। डॉ. श्रीमती आशा त्रिपाठी (अभियोजन साक्षी-8) वह गवाह हैं जिन्होंने अभियोक्त्री की चिकित्सकीय जांच की तथा अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 दी जिसमें यह राय दी गई कि वह यौन संभोग की आदी है, उसके शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं है तथा दो उंगलियां आसानी से उसकी योनि में प्रवेश कर जाती हैं। हालांकि चिकित्सकीय रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 दर्शाती है कि आयु निर्धारण के लिए अभियोक्त्री को एक्स-रे के लिए संदर्भित किया गया था, अभिलेख़ पर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। श्रीमती लक्ष्मी बाई (अभियोजन साक्षी-9) ने कहा है कि उसने अभियोक्त्री तथा अभियुक्त राजा को अपने देवर के घर में किराए पर रहते देखा। उसने कहा है कि अभियोक्त्री प्राकृतिक आवश्यकताओं के लिए बाहर जाती थी तथा नजदीकी हैंड पंप से पानी लाती थी। अभियोक्त्री स्वतंत्र रूप से घूमती-फिरती थी तथा उससे बात भी करती थी किंतु अभियुक्त राजा द्वारा उसे कमरे में कैद किए जाने के संबंध में उसे कोई शिकायत नहीं की। मनीराम (अभियोजन साक्षी-10)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धनीराम (अभियोजन साक्षी-4) का पड़ोसी है जिसने कहा है कि वह घर जहां अभियोक्त्री को अभियुक्त राजा द्वारा रखा गया था, कभी बंद नहीं था तथा वह स्वतंत्र रूप से घूमती थी बिना कोई शिकायत किए। संगीत (अभियोजन साक्षी-11) – अभियोक्त्री का चचेरा भाई ने कहा है कि उसे अभियोक्त्री के पिता से पता चला कि वह गुम है। उसके अनुसार, एक दिन उसने अभियोक्त्री को एक घर के दरवाजे पर खड़े देखा तथा तदनुसार उसने यह उसके पिता को सूचित किया। सी.पी. सिंह (अभियोजन साक्षी-12) जांच अधिकारी हैं जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते हुए कहा है कि जांच के दौरान उन्होंने एक कोटवारी रजिस्टर प्रदर्श पी-15 जब्त किया तथा संबंधित पृष्ठ की फोटोकॉपी प्रदर्श पी-15ए। प्रदर्श पी-15-ए अभियोक्त्री की जन्म तिथि 20.7.1980 दर्शाती है। हालांकि, मूल कोटवारी रजिस्टर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया तथा कोई साक्ष्य नहीं है जो दर्शाए कि अभियोक्त्री की जन्म तिथि कोटवारी रजिस्टर में 20.7.1980 के रूप में किस आधार पर दर्ज की गई।

9. गवाहों के साक्ष्यों विशेष रूप से अभियोक्त्री (अभियोजन साक्षी-3), उसके माता-पिता (अभियोजन साक्षी-1 तथा अभियोजन साक्षी-2) तथा लक्ष्मी बाई (अभियोजन साक्षी-9) के साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण दर्शाता है कि वह (अभियोक्त्री) सहमति वाली पक्षकार थी। साक्ष्य आगे दर्शाते हैं कि अभियोक्त्री अभियुक्त राजा के साथ धनीराम (अभियोजन साक्षी-4) के घर में पांच दिनों तक रही तथा प्राकृतिक आवश्यकताओं के लिए बाहर जाती थी तथा हैंड पंप से पानी लाती थी किंतु इस लंबी अवधि में पूर्ण अवसर होने के बावजूद उसने अभियुक्त / अपीलकर्ता राजा द्वारा कैद किए जाने के बारे में किसी को कोई शिकायत नहीं की। अभियोक्त्री का यह आचरण भी स्पष्ट करता है कि वह अभियुक्त/अपीलकर्ता राजा के कृत्य में सहमति वाली पक्षकार थी। अब एकमात्र प्रश्न उसकी आयु का है। अभियोजन पक्ष ने कोटवारी रजिस्टर की फोटोकॉपी (प्रदर्श पी-15-ए) दाखिल की है किंतु यहां तक कि यह दस्तावेज भी अभियोजन पक्ष द्वारा विधि के अनुसार साबित नहीं किया गया। मूल कोटवारी रजिस्टर अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया न ही कोई साक्ष्य है जो दर्शाए कि अभियोक्त्री की जन्म तिथि उक्त कोटवारी रजिस्टर में 20.7.1980 के रूप में किस आधार पर दर्ज की गई। यहां तक कि अभियोक्त्री के माता-पिता ने भी अभियोक्त्री की आयु के संबंध में कुछ नहीं कहा है। इसके अलावा, डॉक्टर (अभियोजन साक्षी-8) जिसने अभियोक्त्री की चिकित्सकीय जांच की, ने कहा है कि वह पूर्ण विकसित महिला थी। हालांकि अभिलेख़ दर्शाता है कि अभियोक्त्री को आयु निर्धारण के लिए एक्स-रे के लिए संदर्भित किया गया था, अभिलेख़ पर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. इस प्रकार उपर्युक्त चर्चा के दृष्टिगत, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अधिनस्त न्यायालय के निष्कर्ष अभिलेख़ पर साक्ष्यों की उचित सराहना पर आधारित नहीं हैं तथा ऐसा होने से हमला किया गया निर्णय विधि की दृष्टि में टिकाऊ नहीं है। तदनुसार, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। दोनों अपीलों में अभियुक्त /अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। वे जमानत पर होने की सूचना है। उनकी जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं।

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By ------------------ Shriya Jaiswal

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur